कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कमांकःशिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/स्थानान्तरण/2018 दिनांकः 09.10.2018

संयुक्त निदेशक(माध्यमिक) समस्त

जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय समस्त
(माध्यमिक शिक्षा)

विषयः– आदर्श आचार संहिता की पालना के सम्वन्ध में।
संदर्भः– मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के आदेश कमांकःसं स/मु स/ निर्वाचन/2018/01814 दिनांकः 09.10.2018

विधानसभा आम चुनाव 2018 हेतु राज्य में दिनांक 06.10.2018 से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आने से पूर्व विभाग द्वारा विभिन्न स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये गये थे। उक्त स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति आदेशों के सम्वन्ध में निम्न दिशा–निर्देश तत्काल पालनार्थ जारी किये जाते हैंः–

1. उक्त आदेशों की पालना में जो कार्मिक अव तक कार्यमुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें अव कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. जो कार्मिक/शिक्षक/संस्था प्रधान कार्यमुक्त हो गये हैं किन्तु उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया हैं, वे संवंधित जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक(मुख्यालय) में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यग्रहण करेंगे।
3. समस्त संयुक्त निदेशकों को निर्देशित किया जाता हैं कि उक्त दिशा–निर्देशों की पालना अधीनस्थ कार्यालयों/संस्था प्रधानों द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त संयुक्त निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार पृथक–पृथक सूचना निदेशालय को दिनांक 09.10.2018 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावेंः–
   1. जिन कार्मिकों द्वारा कार्यग्रहण कर लिया है।
   2. जो कार्मिक कार्यमुक्त हो गये है किन्तु कार्यग्रहण नहीं किया है।
   3. जो कार्यमुक्त ही नहीं हुए है।
5. आदेशों की प्रतीक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी–माध्यमिक(मुख्यालय) में कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक/शिक्षक/संस्था प्रधानों की सूची जिलेवार/पदवार प्रतिदिन ई–मेल आईडी– dir.dse@rajasthan.gov.in पर **संलग्न प्रपत्र** में भिजवाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

09.10.18
(नथमल डिडेल)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपिः–

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्यालय को जरिये ई–मेल भिजवायें एवं विभागीय वेब–साईट पर अपलॉड करें।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी /मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी समस्त को पालनार्थ ।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रपत्र

नाम पदः–   दिनांकः–

जिलाः–

क्र.सं.	नाम कार्मिक अधिकारी	पूर्व पदस्थापन स्थान	नवीन पद व पदस्थापन स्थान

www.rajteachers.com